+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(18 February 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- कतर के अमीर की भारत यात्रा: एक रणनीतिक आकलन
- नए कानून के तहत पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
- भारत-अमेरिका के मध्य नवीनीकृत परमाणु सहयोग
- MCQ

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

कतर के अमीर की भारत यात्रा: एक रणनीतिक आकलन

चर्चा में क्यों है?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल-थानी 17 फरवरी, 2025 को राजकीय यात्रा पर भारत आये। ऐसे अवसरों को अक्सर कूटनीतिक सौहार्द के रंग में रंगा जाता है, फिर भी गले मिलाने और फोटो खिंचवाने के पीछे रणनीतिक अनिवार्यताओं का एक जटिल जाल छिपा होता है।

- उल्लेखनीय है कि भारत और कतर के बीच दोस्ती, विश्वास और आपसी सम्मान के 'गहरे ऐतिहासिक संबंध' है। इस साल की शुरुआत में विदेश मंत्री जयशंकर की दोहा यात्रा - 2025 में उनकी पहली कूटनीतिक यात्रा - इस बात को रेखांकित करती है कि भारत इस रिश्ते को कितनी प्राथमिकता देती है। दोनों देशों के मध्य व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, संस्कृति और लोगों के बीच आदान-प्रदान में संबंधों को मजबूत करना अक्सर सफलता के रूप में उद्धृत किया जाता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत और कतर के बीच संबंधों की प्रकृति कैसी रही है?

- दोनों देशों के बीच दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। नवंबर 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कतर यात्रा के बाद से रिश्ते में सुधार हुआ है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क़तर यात्रा थी।
- कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने 2015 में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में कतर गए।
- 2021 में, भारत कतर के लिए शीर्ष चार निर्यात स्थलों में से एक था; यह कतर के आयात के शीर्ष तीन स्रोतों में से एक है। दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 20 अरब डॉलर का है, जिसमें से शेष कतर के पक्ष में है।
- कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जो देश के वैश्विक आयात का 40% से अधिक हिस्सा है।
- कतर में रहने वाले 830,000 भारतीय इसकी आबादी का 27 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। ये लोग प्रतिवर्ष भारत को लगभग 4.143 अरब डॉलर की धनराशि भेजते हैं, जिससे यह विदेशी धन प्रेषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।
- रक्षा सहयोग को आधिकारिक तौर पर भारतीय-कतर संबंधों के "स्तंभ" के रूप में वर्णित किया गया है।

भारतीय प्रवासी समुदाय: कतर का गुमनाम आर्थिक इंजन

- उल्लेखनीय है कि कतर में भारतीयों की मौजूदगी को सिर्फ 'प्रवासी कामगारों' के नजरिए से देखना गलत अति सरलीकरण करना है। वे लोग सिर्फ मामूली काम करने वाले मजदूर नहीं हैं, बल्कि कतर की संपन्न अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। दोहा में निर्माण उछाल से लेकर इसके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के जटिल नेटवर्क तक, भारतीय हर स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे विशेषज्ञता, कौशल और एक कार्य नीति लेकर आते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, व्यावसायिक पेशेवर और शिक्षक - सभी विविध क्षेत्रों में योगदान करते हैं।
- कतर की भारतीय कार्यबल पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। इन 800,000 से ज़्यादा लोगों के अचानक पलायन की कल्पना करें। कतर की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, बुनियादी ढांचा परियोजनाएँ ठप हो जाएँगी और जरूरी सेवाएं ठप हो जाएँगी। यह अतिशयोक्ति नहीं है; यह एक कठोर वास्तविकता है।
- इस सहजीवी संबंध को नजरअंदाज करना बुनियादी तौर पर दोनों देशों के संबंधों की गतिशीलता को गलत तरीके से समझना है। ध्यातव्य है कि कतर को भारतीयों की उतनी ही जरूरत है, जितनी भारत को कतर की गैस की जरूरत है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत की ऊर्जा सुरक्षा की गतिशीलता:

- उल्लेखनीय है कि भारत-कतर संबंधों पर ऊर्जा सुरक्षा का साया मंडरा रहा है। कतर कई वर्षों से भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता रहा है, अक्सर अस्थिर वैश्विक बाजार की तुलना में अधिक अनुकूल कीमतों पर। यह द्विपक्षीय साझेदारी की आधारशिला रही है, जिसकी पुष्टि मंत्री अल काबी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में भारतीय ऊर्जा अधिकारियों के साथ बैठकों के दौरान की।
- हालांकि, वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य बदल रहा है, और भारत की रणनीतिक गणनाएँ विकसित हो रही हैं। इस परिदृश्य में उथल-पुथल लाने वाला है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते ऊर्जा संबंध। जैसे-जैसे भारत अमेरिका से LNG आयात बढ़ा रहा है, कतर की LNG आपूर्ति के भविष्य के बारे में सवाल उठ रहे हैं।
- ऐसे में यह प्रश्न है कि क्या यह विविधता भारत के लिए कतर के रणनीतिक महत्व को कम कर देगी? ये दोनों पक्षों के लिए मामूली चिंताएँ नहीं हैं।
- जबकि भारत की ऊर्जा जरूरतें बहुत ज़्यादा हैं और विविधीकरण एक विवेकपूर्ण रणनीति है, इसे कतर के साथ दीर्घकालिक, पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी को कमजोर करने से बचने के लिए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अस्थिर पश्चिम एशिया में दोनों देशों के मध्य संबंधों का महत्व:

- भारत-कतर संबंध अस्थिर पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक विचारों से गहराई से जुड़े हुए हैं।
- उल्लेखनीय है कि कतर में मौत की सजा पाए आठ पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों से जुड़े बेहद चिंताजनक प्रकरण का सफल समाधान भारत के कूटनीतिक प्रभाव और प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर के बीच व्यक्तिगत तालमेल का एक शक्तिशाली प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत हस्तक्षेप, अमीर के साथ उनकी बातचीत और उसके बाद LNG सौदा, ये सभी ऐसे रिश्ते की ओर इशारा करते हैं जो उच्चतम स्तर पर बेहद व्यक्तिगत और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दोनों हैं।
- इसके अतिरिक्त खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) क्षेत्र में भू-राजनीतिक गतिशीलता विकसित होने के साथ, भारत GCC ब्लॉक के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहा है, कतर के साथ एक मजबूत और सूक्ष्म संबंध बनाए रखना सर्वोपरि है।
- भारतीय बुनियादी ढांचे में GCC का निवेश, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा और स्मार्ट सिटी पहल में, इस साझेदारी को और मजबूत करता है।

दोनों देशों के मध्य संबंधों में आगे की राह:

- हालांकि, दोनों देशों के मध्य संबंधों में चुनौतियां बनी हुई हैं। श्रम अधिकारों, प्रवासी कल्याण और क्षेत्रीय तनावों से संबंधित मुद्दे - जिसमें मौजूद इजरायल-हमास संघर्ष और सीरिया में अस्थिरता शामिल है - निरंतर संवाद और सावधानीपूर्वक नेविगेशन की मांग करते हैं।
- साथ ही कतर में भारतीय प्रवासी, जो दोनों देशों के बीच एक सेतु है, इन क्षेत्रीय क्रॉसफायर के प्रति भी संवेदनशील है।
- उल्लेखनीय है कि भारत-कतर संबंध रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता; यह निरंतर पोषण, रणनीतिक दूरदर्शिता और वैश्विक भू-राजनीति की बदलाव की स्पष्ट समझ की मांग करता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

नए कानून के तहत पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति:

चर्चा में क्यों है?

- चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के लगभग एक साल बाद ज्ञानेश कुमार को, 17 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2023 में वर्णित नयी प्रक्रिया के तहत, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के पद पर नियुक्त किया गया है।
- ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की घोषणा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय नियुक्त समिति द्वारा राजीव कुमार के उत्तराधिकारी के चयन करने के लिए की गई बैठक के कुछ घंटों बाद की गई, जो 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक रहेगा, जिसके दौरान वे आयोग का नेतृत्व करेंगे, इस दौरान चुनाव आयोग 20 विधानसभा चुनाव, 2027 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी करेगा।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर विवाद:

- मुख्य चुनाव आयुक्त में नेतृत्व के सुचारु परिवर्तन के बावजूद, ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति विवादों से अछूती नहीं रही।
- विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया और सरकार से आग्रह किया है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को नियंत्रित करने वाले संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार नहीं कर लेता, तब तक नियुक्ति को स्थगित रखा जाए।
- उल्लेखनीय है कि यह नया कानून, सरकार के प्रतिनिधियों को चयन पर काफी नियंत्रण देता है, आलोचकों के बीच चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें डर है कि यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।

पहले मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाती थी?

- भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) एक तीन सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
- इससे पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए संसद द्वारा कोई कानून पारित नहीं किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्तियाँ की जाती थीं।

- परंपरागत रूप से, मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त का उत्तराधिकारी अगला सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त होता था। वरिष्ठता आमतौर पर इस आधार पर निर्धारित की जाती थी कि आयोग में पहले किसे नियुक्त किया गया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2023 के प्रमुख प्रावधान:

- इस कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन जैसे पहलू शामिल हैं।
- राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे, की सिफारिश के आधार पर करेंगे।
- कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति, चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी, जिसमें पात्रता मानदंड के साथ उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर होना आवश्यक होगा।

निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों को लेकर नया कानून क्यों लाया गया?

- उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद लाया गया है। इसके पीछे की वजह 2015 से 2022 के बीच दायर कई याचिकायें थी, जिसमें चुनाव आयुक्तों को चुनने में केंद्र सरकार की विशेष शक्तियों को चुनौती दी गई थी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में कहा था कि संविधान के संस्थापकों ने कभी भी निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों को लेकर कार्यपालिका को विशेष नियुक्ति शक्तियां देने का इरादा नहीं किया था। निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों को पूरी तरह से कार्यपालिका पर छोड़ने के "विनाशकारी प्रभाव" के बारे में चिंतित होकर, सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई प्रक्रिया स्थापित की।
- हालांकि नई प्रक्रिया तब तक लागू रहने वाली थी जब तक संसद नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बना देती।
- संसद ने आखिरकार दिसंबर 2023 में एक कानून बनाया, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक शॉर्टलिस्ट पैनल और एक चयन समिति के माध्यम से करना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति के सदस्य के रूप में हटा दिया गया।

चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने 2 मार्च 2023 को सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाली एक उच्च-शक्ति समिति को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) का चुनाव करना चाहिए।

चुनौती क्या दी गयी थी?

- संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के अनुसार *"चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या, यदि कोई हो, को राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी"*।
- इस मामले में चुनौती यह थी कि उस समय तक चूंकि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया था, इसलिए न्यायालय को "संवैधानिक शून्य" को भरने के लिए कदम उठाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया?

- मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता (विपक्ष का कोई नेता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे"।
- अदालत ने यह भी कहा, "यह निर्णय संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगा"। इसका मतलब यह है कि संसद इस मुद्दे पर एक नया कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को समाप्त भी कर सकती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI):

- भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में संसद, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए की गई थी।
- आयोग में तीन सदस्य हैं, और निर्णय बहुमत से किए जाते हैं।

भारत-अमेरिका के मध्य नवीनीकृत परमाणु सहयोग:

चर्चा में क्यों है?

- अमेरिका के साथ नए सिरे से परमाणु सहयोग की घोषणा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक लाभ है, जो अन्यथा अमेरिका में नए प्रशासन के साथ भारत के लिए एक रियायती पहली बातचीत थी।
- अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते को "पूरी तरह से साकार करने" के लिए दोनों पक्षों द्वारा व्यक्त की गई प्रतिबद्धता अब तक की प्रगति की कमी और हस्ताक्षर किए जाने के दो दशक बाद भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के लाभों का लाभ उठाने की आवश्यकता की यथार्थवादी स्वीकृति है। भारत के दृष्टिकोण से शायद तीन स्पष्ट लाभ हैं।

बड़े पैमाने पर स्थानीयकरण और संभावित तकनीकी हस्तांतरण:

- ऐसे समय में जब अमेरिका व्यापार संतुलन को संतुलित करने और अमेरिकी विनिर्माण को समर्थन देने के मुद्दे पर अत्यधिक लेन-देन वाला रहा है, बड़े पैमाने

पर स्थानीयकरण और संभावित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में अमेरिकी-डिजाइन किए गए परमाणु रिएक्टरों को संयुक्त रूप से बनाने की प्रतिबद्धता को भारत के लिए लाभ के रूप में देखा जा रहा है।

- इस नए समझौते का फोकस विशेष रूप से अमेरिका से प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने और यहां स्थापित की जा रही परियोजनाओं के लिए भारत में स्थानीय रूप से उपकरण बनाने के इरादे को इंगित करता है, जो कि अमेरिका द्वारा आम तौर पर जोर दिए जाने वाले उस विचार के विपरीत है - विनिर्माण को वापस अमेरिका में लाना।

रिएक्टर विशेषज्ञता को उन्नत करने का मौका:

- दूसरा सकारात्मक पहलू यह है कि यह नया सौदा भारत के परमाणु क्षेत्र को अपने रिएक्टर विशेषज्ञता को दुनिया के अधिकांश हिस्सों में उपयोग किए जाने वाले रिएक्टरों के स्तर पर उन्नत करने का मौका देता है, और परियोजना विकास की वर्तमान धीमी गति के मुकाबले क्षमता वृद्धि को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है।
- छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) क्षेत्र में निजी क्षेत्र की क्षमताओं का लाभ उठाने की योजना भी महत्वपूर्ण है।

- हालांकि भारत के नागरिक परमाणु कार्यक्रम में छोटे रिएक्टर प्रकारों - 220MWe PHWR (दबाव वाले भारी पानी वाले रिएक्टर) और उससे ऊपर के निर्माण में विशेषज्ञता है - भारत के लिए समस्या इसकी रिएक्टर तकनीक है। भारी पानी और प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित, PHWR रिएक्टर, PWR (एक हल्के पानी वाले परमाणु रिएक्टर प्रकार जो दुनिया के अधिकांश परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करते हैं) के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहे हैं, जो अब वैश्विक स्तर पर सबसे प्रमुख रिएक्टर प्रकार हैं।
- SMR के मामले में, भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग पहले से ही कैमडेन, न्यू जर्सी स्थित होलटेक इंटरनेशनल के साथ सहयोग के लिए खोजपरक बातचीत कर रहा है। होलटेक इंटरनेशनल एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे अब पूंजीगत परमाणु घटकों के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक माना जाता है।

स्माल माडुलर रिएक्टर (SMR) पर संयुक्त रूप से बल:

- पुनः भारत और अमेरिका के लिए SMR क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ शामिल होने के लिए रणनीतिक प्रोत्साहन भी है, ऐसे समय में जब चीन SMR क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के अवसर को जब्त करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- उल्लेखनीय है कि भारत की तरह, चीन भी SMR को वैश्विक दक्षिण में अपने कूटनीतिक आउटरीच के एक उपकरण के रूप में देख रहा है।
- भारत और अमेरिका दोनों ही अपने दम पर चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए खराब स्थिति में हैं, भारत की तकनीकी बाधाओं और अमेरिका को अपेक्षाकृत उच्च श्रम लागत और उस देश में बढ़ते संरक्षणवादी मूड से बाधित माना जाता है।
- ध्यातव्य है कि SMR को भविष्य में परमाणु ऊर्जा के लिए व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी विकल्प बने रहने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी कंपनियों की बढ़ती बिजली मांग के मद्देनजर, जो कि एआई मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों और डेटा केंद्रों से आने वाली विशाल वृद्धिशील बिजली की आवश्यकता को देखते हुए है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. चर्चा में रहे लोकसभा के 'नेता प्रतिपक्ष' पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए किसी विपक्षी दल को सदन का कम से कम 15 प्रतिशत सीटों की आवश्यकता होती है।
   2. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन में इस पद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(b)

2. हाल ही में चर्चा में रहे '123 समझौते' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन-सा गलत कथन है?

(a) यह भारत के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1967 की एक धारा के तहत किया जाने वाला समझौता है।

(b) इसे शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग के लिए समझौते के रूप में भी जाना जाता है।

(c) यह भारत और अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए हुआ एक समझौता है।

(d) यह अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की एक धारा के तहत किया जाने वाला समझौता है।

Ans:(a)

3. चर्चा में रहे 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2023' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और निष्कासन जैसे पहलू शामिल हैं।
2. इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति होने की पात्रता मानदंड के रूप में उम्मीदवारों को केंद्र सरकार में सचिव या राज्यों में मुख्य सचिव पद पर होना आवश्यक होगा।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(a)

4. वर्तमान में भारत द्वारा किस देश से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का सर्वाधिक आयात किया जाता है?

(a) रूस से

(b) अमेरिका से

(c) संयुक्त अरब अमीरात से

(d) क़तर से

Ans:(d)

5. वैश्विक स्तर पर छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के विकास पर चीन द्वारा दिए जा रहे बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. चीन SMR क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के अवसर को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है।
2. चीन SMR को वैश्विक दक्षिण में अपने कूटनीतिक आउटरीच के एक उपकरण के रूप में देख रहा है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Ans:(c)